

प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांत	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री लोचन प्रकाश पुत्र गणेशराम रेगरो का मौहल्ला कृष्ण गोपाल आश्रम के पास बडली नागोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर
प्रकरण अपील		32 /2018
कम्प्यूटर आई.डी		2018/00138

31 12.2018

अपीलांत अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट उपस्थित। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को सुना गया।  
रेस्पोडेन्ट (तहसीलदार, जालोर) ने व्यक्त किया कि अपीलांत का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदित सूचना कार्यालय के पत्रांक/328 व 329 दिनांक 03.10.2018 द्वारा अपीलांत को भिजवाई गई। अपीलांत द्वारा अपील में प्ररनगत सूचना चाही जा रही है। सूचना के अधिकार अधिनियम में कार्यालय में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जावे।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांत द्वारा चाही सूचना के संबध में तहसीलदार जालोर के कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांत को अपीलांत को जरिए पत्रांक/328 व 329 दिनांक 03.10.2018 द्वारा अपीलांत को भिजवाई जाना पाया जाता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांत की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांत को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(महेन्द्र सोनी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी  
(जिला कलेक्टर)  
जालोर

3/11/18

